

इसे वेबसाइट [www.govtpress.nic.in](http://www.govtpress.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 50]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 10 दिसम्बर 2021—अग्रहायण 19, शक 1943

## भाग ४

विषय—सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन	(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद् के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 नवम्बर 2021

सूचना

क्र. एफ 3-95-2021-अठारह-5.— मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा-24 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा-85 की उपधारा-(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2012 के निम्न नियमों में संशोधन करती है, जो उक्त अधिनियम की धारा 85 की उपधारा (1) के द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार मध्यप्रदेश राजपत्र (साधारण) दिनांक 8 अक्टूबर, 2021 में पूर्व में प्रकाशित किये जा चुके हैं:-

## संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 19 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

### "19-क. नगर विकास योजना से भिन्न कार्यो का किया जाना :-

विकास प्राधिकरण, नगर विकास योजना से भिन्न विकास योजना के घटकों, जैसे-मार्ग, फ्लाईओवर, रेल्वे ओवर ब्रिज तथा पार्क एवं उद्यान आदि के विकास कार्य विकास प्राधिकरण मंडल की स्वीकृति से कर सकेगा:

परन्तु ऐसे कार्य, विगत वर्ष की प्राधिकरण की वास्तविक आय के 10 प्रतिशत की सीमा से अधिक नहीं होंगे".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

**शुभाशीष बैनर्जी**, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 29 नवम्बर 2021

क्र. एफ 3-95-2021-अठारह-5.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, नगरीय विकास एवं आवास विभाग की सूचना क्रमांक-एफ-3-95-2021-अठारह-5, दिनांक 29 नवम्बर, 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

**शुभाशीष बैनर्जी**, उपसचिव.

Bhopal, the 29<sup>th</sup> November 2021

## NOTICE

No.F 3-95-2021-XVIII-5.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 85 read with sub-section (3) of Section 24 of Madhya Pradesh Town and Country Planning Act, 1973. The State Government hereby makes the following amendments in Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Niyam, 2012 rules the same having been previously published in the Madhya Pradesh Gazette (Ordinary), dated 8<sup>th</sup> October, 2021 as required by sub-section (1) of Section 85 of the said Act.

## AMENDMENT

In the said rules, after rule 19, the following rule shall be inserted, namely :-

### "19-A. Carrying out works other than Town Development Scheme :-

The Development Authority may take up the development work of the components of the development plan other than the Town Development Scheme such as roads, flyovers, railway over bridges, Parks and gardens etc. with the approval of the Development Authority Board:

Provided that such work shall not exceed the limit of 10 percent of the actual income of the Authority for the previous year."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

**SHUBHASHISH BANERJEE** Dy. Secy.